न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 07 / 2024 **दायर दिनांकः 16.12.2024**

उनवान

1. रामचन्द्र आयु 55 वर्ष पुत्र छीतरलाल जाति मीणा निवासी जिरोद तहसील अटरू
2. किशनलाल आयु 53 वर्ष पुत्र छीतरलाल जाति मीणा निवासी जिरोद तहसील अटरू
3. गायत्री बाई आयु 51 वर्ष पुत्री छीतरलाल जाति मीणा निवासी जिरोद तहसील अटरू
4. निर्मला बाई आयु 60 वर्ष पुत्री छीतरलाल जाति मीणा निवासी जिरोद तहसील अटरू
5. सुगना बाई आयु 58 वर्ष पुत्री छीतरलाल जाति मीणा निवासी जिरोद तहसील अटरू जिला बारां (राज.)

प्रार्थीगण

बनाम

1. गिरराज पुत्री लक्ष्मण जाति मीणा निवासी जिरोद
2. सत्यनारायण पुत्र लक्ष्मण जाति मीणा निवासी जिरोद
3. सुशीला देवी पुत्री लक्ष्मण जाति मीणा निवासी जिरोद तहसील अटरू जिला बारां (राज.)
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील अटरू जिला बारां।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,131 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—
प्रार्थीगण :—विद्वान अभिभाषक श्री चन्द्रप्रकाश योगी
अप्रार्थीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री विशाल चौधरी

निर्णय **दिनाकः 30.06.2025**

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 131 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल जिरोद तहसील अटरू जिला बारां (राज.) में मुताबिक जमाबन्दी 2073 से 2076 के अनुसार खाता संख्या 62 का खसरा नं. 15 का रकबा 1.50 है0, खसरा नं. 185 का रकबा 0.27 है0, खसरा नं. 24 का रकबा 1.18 है0, खसरा न. 271 का रकबा 0.01 है0, खसरा न. 284 / 740 का रकबा 0.05 है0, खसरा न. 292 का रकबा 0.01 है0, खसरा न. 301 का रकबा

0.05 है0, खसरा नं. 658 का रकबा 0.50 है0, खसरा नं. 71 का रकबा 1.14 है0 कुल किता 9 का कुल रकबा 4.71 हैक्टर आराजी प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व में चली आ रही है। ग्राम एवं माल जिरोद तहसील अटरू जिला बारां (राज.) में मुताबिक जमाबन्दी 2073 से 2076 के अनुसार खाता संख्या 269 का खसरा नं. 796/15 का रकबा 2.19 है0 कुल किता 1 का रकबा 2.19 हैक्टर आराजी अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 के शामलाती कब्जे काश्त एवं स्वामित्व में चली आ रही है। प्रार्थना पत्र की मद न. 1 व 2 में वर्णित आराजी पैतृक आराजी है जो पूर्व खातेदार माधोलाल के नाम से चली आ रही थी, माधोलाल के दो पुत्र छीतरलाल व लक्ष्मण थे, छीतरलाल के वारिसान प्रार्थीगण है एवं लक्ष्मण के वारिसान अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 है। प्रार्थना पत्र की मद न. 1 व 2 में वर्णित आराजी में वर्णित खसरा नं. 15 व खसरा न. 796/15 एक ही खसरा नं. 15 से बने है। जो पूर्व में खसरा नं. 15 था लेकिन बंटवारे में इसके दो नंबर करवा दिये है जिसमे प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रार्थीगण उक्त नंबर के पश्चिम दिशा में काश्त करते चले आ रहे है एवं अप्रार्थीगण पूर्व दिशा में काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थना पत्र की मद न. 1 व 2 में वर्णित आंराजी में मौके के बंटवारे अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 काश्त करते चले आ रहे है लेकिन पटवारी हल्का ने नक्शा तरमीम करते वक्त कब्जे का ध्यान न रखते हुए बिना मौके का अवलोकन किये प्रार्थीगण व अप्रार्थी क्रम 1 के कब्जे शुदा भूमि के नक्शे को तरमीम में प्रार्थीगण की पश्चिम दिशा की तरमीम की जगह उत्तर दिशा में तरमीम कर दी एवं अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 के पूरब दिशा में तरमीम की जगह दक्षिण दिशा में तरमीम कर दी एवं उसी आधार पर नक्शे में तरमीम का अंकन कर दिया। जबकि प्रार्थीगण का पश्चिम दिशा में कब्ज़ा एवं स्वामित्व चला आ रहा है एवं अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 का पूरब दिशा में कब्ज़ा एवं स्वामित्व चला आ रहा है। वर्तमान में परवन सिचाई वृहद परियोजना द्वारा नहर निर्माण का कार्य चल रहा है तो प्रार्थीगण के पश्चिम दिशा में होकर नहर निर्माण वाले नहर निर्माण करने पर आमादा है लेकिन प्रार्थीगण के पास इस सम्बन्ध में कोई सूचना नही आई तो प्रार्थीगण ने नहर वालों से नहर खोदने की मना किया एवं अपने खाते का नक्शा एवं जमाबन्दी की नकल निकलवाई तब जाकर प्रार्थीगण को पटवारी हल्का द्वारा गलत तरमीम किये जाने की जानकारी हुई तो प्रार्थीगण ने तहसीलदार साहब से दिनांक 07/12/2024 को कब्जे के अनुसार नक्शा दुरुस्त करने के लिए निवेदन किया तो उन्होंने सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्यवाही करने की हिदायत दी। बिना सहायता न्यायालय नक्शे को दुरुस्त करवाया जाना संभव नहीं है। अस्तु नक्शे को दुरुस्त किये जाने हेतु माननीय न्यायालय में प्रार्थना

पत्र पेश है। नक्शे में गलती होने की जानकारी परवन सिंचाई वृहद परियोजना द्वारा नहर निर्माण का कार्य प्रार्थीगण के पश्चिम दिशा में होकर करने पर आमादा होने पर अपने खाते का नक्शा एवं जमाबन्दी की नक़ल दिनांक 07/12/2024 को निकलवाने पर पटवारी हल्का द्वारा गलत तरमीम किये जाने की जानकारी हुई तब श्रीमान तहसीलदार साहब से नक़्शे को दुरुस्त करने बाबत दिनांक 07/12/2024 को माननीय न्यायालय में कार्यवाही पेश करने की हिदायत देने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त नक्शा एवं भूमि ग्राम जिरोद तहसील अटरू जिला बारां (राज.) में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र राजस्थान टीनेंसी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्यायशुल्क पर प्रार्थना पत्र पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र उचित न्यायशुल्क एवं अवधि मध्य पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है ।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थीगण विनयी है कि वर्तमान नक़्शे में उत्तर दिशा में खसरा नं. 15 व दक्षिण दिशा में खसरा न. 796/15 को दुरुस्त कर पश्चिम में खसरा नं. 15 व पूरब में खसरा नं. 796/15 दर्ज किया जावे । अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे प्रार्थीगण को प्रदान की जावे।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 के मध्य नक्शा गलत हो जाने से हम दोनो पक्ष नक्शे को दुरूस्त करवाकर वर्तमान नक्शे में पश्चिम दिशा में ख0नं0 15 तथा पूर्व दिशा में ख0नं0 796/15 अंकित करवाते हुए नक्शा दुरूस्त करवाना चाहते है।

अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि नक्शे को दुरूस्त करवाने के आदेश प्रदान करें।

राजीनामा का अवलोकन किया गया तथा राजीनामा तस्दीक किया गया। प्रार्थीगण की पहचान श्री चन्द्रप्रकाश योगी एड0 द्वारा की गई तथा अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 की पहचान श्री विशाल चौधरी एड0 द्वारा की गई तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 ने स्वयं उपस्थित होकर आदेशिका पर सहमति हस्ताक्षर किए।

अभिभाषकगण की मौखिक बहस सूनी गई। अभिभाषकगण की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल जिरोद सम्वत 2073–76 खाता

संख्या 62, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल जिरोद सम्वत 2073–76 खाता संख्या 269, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम जिरोद का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण व आपसी सहमति से पेश राजीनामा के आधार पर ग्राम एवं माल जिरोद के खाता संख्या 62 के वर्तमान नक्शे में उत्तर दिशा में खसरा नं. 15 को दुरूस्त कर पश्चिम में ख0नं0 15 व ग्राम एवं माल जिरोद के खाता संख्या 269 के वर्तमान नक्शे में दक्षिण दिशा से दुरूस्त कर पूर्व दिशा में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण व आपसी राजीनामा के आधार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 111, 131 एल0आर0एक्ट0 स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल जिरोद के खाता संख्या 62 के वर्तमान नक्शे में उत्तर दिशा में खसरा नं. 15 को दुरूस्त कर पश्चिम में ख0नं0 15 व ग्राम एवं माल जिरोद के खाता संख्या 269 के वर्तमान नक्शे में दक्षिण दिशा से दुरूस्त कर पूर्व दिशा दर्ज कर तरमीम शुद्ध करने के आदेश दिये जाते है। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है नियमानुसार तरमीम कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां